


सदन की बैठक में नगर निगम गुडगांव के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री सुधीर राजपाल, भा0शा0से0	आयुक्त
2	श्री वार्ड.एस.गुप्ता	निगम सचिव एवं आयुक्त-III व 4
3	श्रीमति वीना हुड्डा, एच.सी.एस	संयुक्त आयुक्त-1, II
4	श्री वी.एस. सिंगरोहा	मुख्य अभियन्ता
5	श्री एस.सी.कुश	मुख्य नगर योजनाकार
6	श्री वार्ड.के. गर्ग	अधीक्षक अभियन्ता
7	श्री ए.एस. दहिनवाल	मुख्य लेखा अधिकारी
8	डा0 वी.के. थापर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)
9	डा0 अरूणा सांगवान	चिकित्सा अधिकारी
10	श्री सुनील जैन	जिला न्यायवादी
11	श्री जगदीर सिंह छिक्कारा	उप निदेशक (आडिट)

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद
12	श्री एम आर शर्मा	कार्यकारी अभियन्ता-1
13	श्री राजेश वंसल	कार्यकारी अभियन्ता-II
14	श्री एन.डी. वशिष्ठ	कार्यकारी अभियन्ता-III
15	श्री रमन शर्मा	कार्यकारी अभियन्ता-4
16	श्री ए.के. सिंगला	कार्यकारी अभियन्ता-5
17	श्री समीर श्रीवास्तव	क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-1
18	श्री लक्ष्मण दास	क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-II व 4
19	श्री आर.एन. शर्मा	क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-III
20	श्री वेदपाल	अधीक्षक (स्थापना)
21	श्री विजेन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सफाई निरीक्षक
22	श्री दीप चन्द	नायब तहसीलदार

सर्वप्रथम श्री विमल यादव, महापौर, नगर निगम गुडगांव ने उपस्थित निगम पार्षदों एवं अधिकारियों का अभिनन्दन किया तथा निगम कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये सहयोग करने वारे अर्पित की। एजेन्डा नं० 1 को छोड़कर बाकी एजेन्डा में वर्णित विन्दु न०. 2 से 8 को लम्बित रखा गया।


CMC


Mayor


CMC

अन्य मुद्दे:-

क्र० सं०	विन्दू	सदन द्वारा लिया गया निर्णय
1	शुक्रवार को होने वाली सदन की बैठक में नोटिस के साथ एजेण्डा 5 दिन पहले सभी पार्षदों के पास पहुँचाया जाये ताकि क्षेत्र एजेण्डों पर चर्चा कर सकें।	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी पार्षदों के पास होने वाली बैठक के नोटिस के साथ एजेण्डा नियमानुसार पहले पहुँचाया जाये।
2	सभी पार्षदों ने सदन में प्रस्ताव रखा कि निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिसमें उनके नाम के समाने पद, उनका मोबाईल नं० तथा कार्यालय का स्थान उनका दूरभाष सहित उपलब्ध कराया जाये ताकि वह जनता के किसी भी कार्य के लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क कर कार्य क्रियान्वित कराया जा सके। इसके अतिरिक्त वार्ड वार्ड निगम कार्यालय भी बनवाये जाये तथा वार्ड पार्षदों के निवास पर वार्ड पार्षद के नाम का साईन बोर्ड लगाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त पार्षदों ने अनुरोध किया कि निगम में महापौर, वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर का कार्यालय है जिसमें जनता अपनी शिकायतें कर सकती है। लेकिन पाषाणों के	मुख्य अभियन्ता ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पद, मोबाईल नं० तथा कार्यालय के पते बारे सूची शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराया दी जायेगी। सभी पार्षदों के निवास पर उनके नाम के साईन बोर्ड लगावा दिये जायेंगे। मुख्य अभियन्ता को 15 दिन के अन्दर-अन्दर वार्डवार्ड कार्यालय बनवाने की प्रस्तावना प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया।

Chc

Mayer

C.S.

4 व 6 को रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।	सरकारी विभागों द्वारा निगम की सैक्टरन 4, 6 व 9 के महत्व आधिकारण गी गई भूमियों को मुक्त करवाने के लिए केस सरकार को भेजा जाये।
7 हुड्डा विभाग और नगर निगम की सड़को की पटवान स्पष्ट की जाए।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम की सड़को पर मार्डन बोर्ड लगावाये जाये। मुख्य अभियन्ता को यह भी निर्देश दिये कि नगर निगम सीमा में स्थित सड़को की सूचि बनाकर सभी पार्सलों को बेनी चारो विगम स्पष्ट बर्णित हो कि कौन सी सड़क किस विभाग की है।
8 अवैध कालोनियो में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करावाई जाए।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा निर्णयित करने हेतु सरकार को बेनी गई अनाधिकृत कालोनियो में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने बारे केस सरकार को भेजा जाये।
9 सैक्टरों और कालोनाइजर एरिया में समस्याओं की भणमार है। इन क्षेत्रों में भी निगम की तरफ से मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सैक्टरों और कालोनाइजर एरिया में भी नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने बारे केस सरकार को भेजा जाये।
10 सभी पार्पट नगर निगम की इंजीनियरिंग विग द्वारा अपने-अपने बार्ड में विकास कार्यों से संबंधित एस्टीमेट बनावाकर प्रस्तुत करें।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी पार्पट 10 दिन के अन्दर-अन्दर अपने बार्ड में स्थित कालोनियो, गांवों में कणायो जामें जाने विगम कार्यों की सूची मुख्य अभियन्ता को दें।

चेटक की कार्यावाही स्वीकृति एवम् सम्बन्धित अधिकारों/पार्पटों से सूचनापत्र एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रस्तुत है।




U. S. Jodha
U. S. Jodha
U. S. Jodha

U. S. Jodha
U. S. Jodha
U. S. Jodha

दिनांक: 12.07.2011

निगम सचिव,

<p>लिय कार्यालय में एक मिटिंग हाल का निर्माण कराया जाये। जिसमें पार्षदगण आकर इसमें अपना कार्य कर सकें।</p>	
<p>3 श्रीमति सुनिता कटरिया, पार्षद, वार्ड नं0 14 ने बताया कि उसने शिकायत की थी कि उनके वार्ड के गुड़गांव गांव में किये जा रहे अतिक्रमण को रोका जाये। इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई।</p>	<p>श्रीमति वीना हुड्डा, संयुक्त आयुक्त-1 ने बताया कि अतिक्रमण/अवैध निर्माण करने वाले के विरुद्ध धारा 261 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये मुख्य अभियन्ता को लिख दिया गया है तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 408 के तहत अतिक्रमणकर्ता को नोटिस भी दिया जा चुका है। इस बारे विवाहित स्थल की तहसीलदार रियल्यू से शीघ्र ही पैमाईश करवाकर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।</p>
<p>4 श्री मंगल राम बागड़ी, पार्षद, वार्ड नं0 10 ने बताया कि नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे कॉल सैन्टर के फोन नं0 को टोल फ्री किया जाये।</p>	<p>आयुक्त महोदय ने श्री राजेश वंसल, कार्यकारी अभियन्ता-11 को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।</p>
<p>5 सर्भा पार्षदों ने सदन प्रस्ताव रखा कि निगम क्षेत्र में करवाये जा रहे विकास कार्य की सूचि उपलब्ध करवाई जाये तथा कार्य स्थल पर सार्जन बोर्ड लगावाये जाये जिस पर यह अंकित हो कि कार्य कब शुरू किया गया, कब पूरा होगा, टेकेदार का नाम तथा किस अधिकारी/कर्मचारी की देख-रेख में कार्य कराया जा रहा है।</p>	<p>मुख्य अभियन्ता ने बताया कि पूर्ण हो चुके, चल रहे तथा भाव्य में किये जाने वाले विकास कार्यो की सूचि सभी वार्ड पार्षदों को शीघ्र ही उपलब्ध करावा दी जायेगी तथा भविष्य में होने वाले विकास कार्यो के स्थलो पर कार्य की जानकारी देने हेतु बोर्ड भी लगावा दिये जायेंगे।</p>
<p>6 निगम की भूमि के अधिग्रहण के लिये हुड्डा द्वारा लगाए गए सेक्शन</p>	<p>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम की स्थापना उपरान्त हुड्डा/अन्य</p>

क्र० सं०	एजेन्डा नं० 1	सदन द्वारा स्थिा गया निर्णय
1	<p>नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 40 (1) के अन्तर्गत उप समितियों का गठन करने बारे।</p> <p>(a). Finance & Contract Sub Committee</p> <p>(b). अन्य कमेटियों का गठन</p> <p>(1) वाटर सप्लाई एवं सीवरेज डिप्लोमेटिक कमेटी</p> <p>(2) बिल्डिंग एवं रोड कमेटी</p> <p>(3) गृहकर असैसमेन्ट कमेटी</p> <p>(4) इसके अतिरिक्त सदन में अन्य कमेटियों का भी गठन किया जा सकता है।</p>	<p>नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 40 (1) के अन्तर्गत उप समितियों का गठन बारे चर्चा की गई। वार्ड नं० 5 के पार्षद श्री मनोसिंह द्वारा सब कमेटियों के गठन हेतु मतदान प्रक्रिया अपनाने तथा वार्ड नं० 23 के पार्षद श्री विरन्द्र सिंह द्वारा उप समितियों के गठन करने का अधिकार महापौर, वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर को देने की सिफारिश की गई। वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर को देने की सिफारिश की गई। महापौर द्वारा मतदान प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्णय लिया कि उप समितियों के गठन करने हेतु महापौर, वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर को अधिकार देने के पक्ष में पार्षद अपना हाथ उठाकर समर्थन करें।</p> <p>वार्ड नं० 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33 व 35 (कुल 21) ने समर्थन करते हुये हाथ उठाकर अपनी सहमति दी।</p> <p>वार्ड नं० 1, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 27 व 28 (कुल 9 पार्षदों) ने अपने हाथ ना उठाकर इस प्रस्ताव पर असहमति दी।</p> <p>इस प्रकार उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ कि महापौर, वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर को उप समितियों गठन करने का अधिकार स्थिा जाता है।</p>

CMC

Prayer

CS

दिनांक 12.07.2011 को सदन की सामान्य बैठक की कार्यवाही

श्री विमल यादव, महापौर नगर निगम गुडगांव की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2011 को प्रातः 11 बजे मिटिंग हॉल, प्रथम तल लघु सचिवालय,

गुडगांव में की गई बैठक की कार्यवाही। इस बैठक में निम्नलिखित पार्षदों ने भाग लिया।


वार्ड नं0	नाम	उपस्थिति	वार्ड नं0	नाम	उपस्थिति	वार्ड नं0	नाम	उपस्थिति
1	ऋषि राज राणा	उपस्थित	14	सुनिता कटारिया	उपस्थित	26	राजेन्द्र	उपस्थित
2	रविन्द्र यादव	उपस्थित	15	दीपक	उपस्थित	27	सोनिया	उपस्थित
3	मोनिका यादव	उपस्थित	16	तारो देवी	उपस्थित	28	पूनम	उपस्थित
5	गजेसिंह	उपस्थित	17	अनूप	उपस्थित	29	सरोज यादव	उपस्थित
6	प्रमिन्द कटारिया, उप-महौपार	उपस्थित	18	सुभाष	उपस्थित	30	निशा सिंह	उपस्थित
7	योगेन्द्र सिंह	उपस्थित	19	सुरेश कुमार	अनुपस्थित	31	अशोक	उपस्थित
8	शशि कला	उपस्थित	20	रविन्द्र कटारिया	उपस्थित	32	महेश दायमा	उपस्थित
9	लखपत	उपस्थित	21	विरेन्द्र	अनुपस्थित	33	सुनीता	उपस्थित
10	मंगतराम	उपस्थित	22	खजान सिंह	उपस्थित	34	रमा रानी राठी	उपस्थित
11	सीमा पाहुजा	उपस्थित	23	विरेन्द्र सिंह	उपस्थित	35	सुन्दर	उपस्थित
12	यशपाल बत्रा, वारिक्ट उप-महौपार	उपस्थित	24	कालू राम	उपस्थित			
13	रजनी	उपस्थित	25	सुभाष सिंह	उपस्थित			

CMC

Misra

Wahne

1. वित्तीयकृत एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानिय निकाय, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. आयुक्त, नगर निगम गुडगांव।



नियम सचिव 12/07/11
नगर निगम गुडगांव।

पु0 क्रमांक C.S/MCCG/2011/100

दिनांक 12.07.2011

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पार्षद वार्ड नं0 1 से 35, नगर निगम गुडगांव।



नियम सचिव 12/07/11
नगर निगम गुडगांव।

पु0 क्रमांक C.S/MCCG/2011/101

दिनांक 12.07.2011

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त आयुक्त-I, II, III व 4
2. मुख्य अभियन्ता
3. मुख्य नगर योजनाकार
4. अर्थात्क अभियन्ता
5. मुख्य लेखा अधिकारी
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)
7. चिकित्सा अधिकारी
8. जिला न्यायवादी
9. उप निदेशक (आडिट)
10. कार्यकारी अभियन्ता-I, II, III, 4 व 5
11. क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-I, II, III व 4
12. अधीक्षक (स्थापना)
13. वरिष्ठ सफाई निरीक्षक
14. नायब तहसीलदार
15. सी.एफ.सी, नगर निगम गुडगांव को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि संलग्न चैक की प्रति नगर निगम गुडगांव की वेबसाईट पर लोड करने की कृपा करें।


नियम सचिव 12/07/11
नगर निगम गुडगांव।

RECEIVED MUNICIPAL CORPORATION CITIZEN FACILITATION
Receiving No. 1088
Date 12.07.11 Time 1:17